न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : (41/16) 184/2019

वादीया :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. पपलीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति–मेघवाल निवासी–गांव गरनिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली ।

1. डायाराम पुत्र जस्साराम
2. नेमीचन्द पुत्र जस्साराम
3. केलकी पत्नी जस्सा
4. सायरी पत्नी पूना
5. ढगला पुत्र पूना
6. जमूड़ी पत्नी गणेश
7. पानी पुत्री गणेश
8. मैना पुत्र गणेश
9. बगदाराम पुत्र चेलाराम
10. लिखमाराम पुत्र नरसिंह
    जातियान–मेघवाल,
    निवासीगण–गरनिया,
    तहसील–जैतारण।
11. दुर्गाराम पुत्र गोपाराम
12. ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम
13. श्यामलाल पुत्र गोपाराम
14. बाबूलाल पुत्र गोपाराम
    जातियान–बावरी,
    निवासीगण–गरनिया,
    तहसील–जैतारण।
15. पटवारी महोदय, पटवार हल्का, गरनिया, तहसील–जैतारण।
16. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, जिला–पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:-25.05.2016**

उपस्थित ::–

1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीया।
2. श्री संगीता व्यास,रामस्वरूप चौधरी, किशोर कुमावत, ओमप्रकाश पंचारिया, अरूणसिंह राठौड़ अधिवक्ता, प्रतिवादीगण ।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 17/03/2020**

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– गरनिया पटवार हल्का–गरनिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैड़कल्ला तहसील जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण शामलाति खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 90 रकबा 10–07 बीघा, खसरा नंबर 99 रकबा 05–05 बीघा, खसरा नंबर 55 रकबा 18–15 बीघा, खसरा नंबर 88 रकबा 07–15, खसरा नंबर 88/1 रकबा 01 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 43–02 की कृषि भूमि आई हुई है। जिसमें वादीया 1/03 वें हक हिस्सा बनता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

एवं उसी हक हिस्से अनुसार ही वादीया मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। तथा प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। नकल चालू जमाबंदी इस आराजी की वादपत्र के पेश है। इस आराजी को वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित आराजी वादीया व प्रतिवादीगण की संयुक्त व शामलाती दर्ज है तथा आराजी में वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक-हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन आज दिन तक वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन आज दिन तक वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंटवाड़ा विहिन है। इस भूमि का किसी प्रकार से कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज है, जिसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस नहीं हो रखा है। तथा उक्त कृषि भूमि वर्तमान में बंटवाड़ा विहिन है। इस भूमि का किसी प्रकार से कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज है, जिसका कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। तथा मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान ने अपनी आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई है। इसी माफिक वादीया अपने अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज होकर के काश्त करवा रहे है। तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा कर रखा है अगर प्रतिवादीगण बिना सहमति से बेचान कर देते है या वादीया को बेदखल कर देते है तो वादीया को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा एवं जो वादीया के विधिक अधिकारों के विरूद्ध होने से वादीया अपने हक हिस्सेनुसार एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने एवं कानूनी बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नहीं होने से वादीया को अनेकों प्रकार की कठिनाईयां का सामना करना पड़ रहा है जिसमें वादीया अपनी आराजी में कुआं खुदाने, बिजली कनेक्शन लेने, आराजी के चारों तरफ मेडबंदी करवाने, तारबंदी करवाने, पत्थरगढी करवाने एवं उसे उपजाऊ बनाने एवं खाद डालने तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रही है। तथा इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 06.02.16 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया एवं पटवारी एवं तहसील कार्यालय में चलने का कहा तो प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुये कहा कि तुम्हें करवाने है तो करवाओं हमें आवश्यकता नहीं है, यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाने उक्त आराजी में से अन्य को बेचान कर देते है तथा किसी अजनबी क्रेता को बेच देते है तो मौके पर विवाद होने तथा वादीया अपने विधिक एवं साम्पैतिक अधिकारों के हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जायेगी जिससे वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 06.02.2016 को प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णित आराजी का सहमति अनुसार कानूनन बंटवाड़ा करवाने का निवेदन करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार करने एवं मौके पर विवाद उत्पन्न करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम गरनिया तहसील-जैतारण जिला-पाली में उत्पन्न होता है। जो अन्दर म्याद व श्रीमान के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादीया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03, 5, 11 से 14 की ओर से वकालातनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 04, 05, 07, 08, 09, 10 के बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने का अनेकानेक अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश नहीं करने से जवाबदावा बंद किया गया। बहस वकुलाय सुनी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

गई। वकील वादीया ने जाहिर किया कि उक्त प्रकरण में वादीया के राजस्व रेकर्ड के हिस्से अनुसार प्रकरण प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी 2071-2074 मोजा-गरनिया का गहनता से अध्ययन किया गया, जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीया अपने हिस्से की भूमि का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा चाहती है। लिहाजा वादीया के हिस्से की भूमि माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा- गरनिया, पटवार हल्का- गरनिया तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की सामलाति खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 90, 99, 55, 88, 88/1 की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीया एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1183 दिनांक 27/12/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2020/741 दिनांक 26/02/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-गरनिया, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वादीया एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नंबर 90 रकबा 10-07 बीघा, खसरा नंबर 99 रकबा 05-05 बीघा, खसरा नंबर 55 रकबा 18-15 बीघा, खसरा नंबर 88 रकबा 07-15, खसरा नंबर 88/1 रकबा 01 बीघा कुल खसरा 05 कुल रकबा 43-02 की कृषि भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	पपलीदेवी पत्नी सोहनलाल कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	88/2	02-11	बारानी अव्वल	1.58
		90/2	03-09	बारानी अव्वल	2.13
		99	1-15	बारानी दोयम	0.54
		55/2	3-02	बारानी दोयम	0-96
	योग	4	10-17		5.21

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

2	ढगलाराम पुत्र पूनाराम ढगलाराम पुत्र पूनाराम कमला गुलाबदेवी चम्पादेवी पुत्रियां पूनाराम किशोरकुमार पवन पुत्र गीतादेवी ज्योति रवीना पुत्रियां गीतादेवी कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	88	2-12	बारानी अव्वल	1-59
		90	3-09	बारानी अव्वल	2.13
		99/1	1-15	बारानी दोयम	0.54
		55	3-02	बारानी दोयम	0.96
	योग	4	**10-18**		**5.22**
3	डायाराम नेमीचन्द पि. जसाराम केलकी पत्नी जसाराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	88/3	2-12	बारानी अव्वल	1.59
		90/1	3-09	बारानी अव्वल	2.13
		99/2	1-15	बारानी दोयम	0.54
		55/1	3-02	बारानी दोयम	0.96
	योग	4	**10-18**		**5.22**
4	जमुड़ी पत्नी गणेशराम पानी मैना पुत्रियां गणेशराम बगदाराम पुत्र चेलाराम लिखमाराम पुत्र नृसिंह कौम मेघवाल सा.देह खातेदार	55	9-09	बारानी दोयम	2.92
5	दुर्गाराम पुत्र गोपाराम ओमप्रकाश पुत्र गोपाराम श्यामलाल पुत्र गोपाराम बालूराम पुत्र गोपाराम कौम बावरी सा.देह खातेदार	88/1	1-00	बारानी अव्वल	0.62

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 17/03/2020 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.04.11 12:36:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: